न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 18 / 2019

महेश पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी कसेरू उपतहसील मुकन्दगढ़ जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ आदेश दिनांक 11.12..2014 उनवानी सरकार बनाम महेश मु0न0 17 / 2014 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार सैनी –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.10.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ के निर्णय दिनांक 11.12.2014 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अपीलान्ट के पिता को ग्राम पंचायत कसेरू द्वारा दिनांक 30.09.1985 को आबादी विस्तार हेतु 150 वर्गमीटर का पट्टा ग्राम पंचायत कसेरू द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्ट अपने पट्टे शुदा जमीन पर मकान बनाकर काबिज है। अपीलान्ट का पट्टे शुदा भूमि के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का कसेरू से जांच करवाई कि उक्त पट्टा विवादित भूमि का है या नहीं जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का ने पट्टा विवादित भूमि का ही माना है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूमि कानूनी की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टो को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक अपीलान्ट को पट्टे शुदा भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट ने अपने मकानों में बिजली, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 39 वर्षो से पक्के मकान बनाकर

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

परिवार सहित आबाद है। अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावें। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ दिनांक 11.12.2014 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता को ग्राम पंचायत कसेरू द्वारा दिनांक 30.09.1985 को आबादी विस्तार हेतु 150 वर्गमीटर का पट्टा ग्राम पंचायत कसेरू द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्ट अपने पट्टे शुदा जमीन पर मकान बनाकर काबिज है। अपीलान्ट का पट्टे शुदा भूमि के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का कसेरू से जांच करवाई कि उक्त पट्टा विवादित भूमि का है या नहीं जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का ने पट्टा विवादित भूमि का ही माना है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूमि कानूनी की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2014 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम कसेरू स्थित भूमि खसरा नम्बर 903/443 कुल रकबा 7.53 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में 0.05 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट अपनी पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2014 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे की पुनः जांच करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू